



बिहार विधान परिषद्

दैनिक विवरणिका

संख्या- 18

सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शनिवार, दिनांक 25.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.20 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि यह अभी अस्वीकृत है, शून्यकाल में इसको लिया गया है। इसपर विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया। आसन से अनुरोध किया गया कि प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए।

2. प्रश्नोत्तर काल

प्रश्नोत्तर काल आरंभ होते ही माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा विभाग का उत्तर माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह के द्वारा दिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि मंत्री जी बाहर हैं और दूसरे मंत्री जी को सरकार की ओर से ऑथराइज्ड किया गया है, इसलिए प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए जवाब देने में हम सक्षम हैं।

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 184, 185, 186 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 187, 188, 189, 190 सदन पटल पर रखे गए।

प्रश्न संख्या- 191 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 185 पर सदन की भावना को देखते हुए तथा माननीय मंत्री की सहमति से नियमन देने कृपा की गई कि ठीक है, संचिका मंगाकर हम देख लेंगे, उसमें आपलोग रहिएगा।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 377, 378, 379, 380, 381 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 सदन पटल पर रखे गए।

प्रश्न संख्या- 390 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 377 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि विजिलेंस को दिया गया है तो वह सब जांच कर लेगा। आपके द्वारा उठाये गये प्वाइंट पर भी विजिलेंस जांच करेगा।

3. शून्यकाल

शून्यकाल की घोषणा होते ही विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि कार्यस्थगन अस्वीकृत हो चुका है लेकिन शून्यकाल में यह विषय आया है, इसलिए माननीय मंत्री इसपर उत्तर देंगे। आपलोग जो विषय उठा रहे हैं, वह शून्यकाल में है और उसपर माननीय मंत्री का वक्तव्य भी होगा। परन्तु विरोधी दल के माननीय सदस्यगण पोस्टर दिखाते हुए सदन बेशम में चले आये तथा जोर-जोर से बोलने लगे। इस दौरान माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी बैठे रहे जबकि माननीय सदस्य, श्री मंगल पाण्डेय अपने स्थान से जोर-जोर से बोलते रहे।

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि इसे ध्यानाकर्षण में परिवर्तित किया जाता है।

सदन के व्यवस्थित नहीं रहने के कारण आसन से माननीय सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने विजली दर की वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय राजनीश जी, सरकार के वक्तव्य पर नियमानुसार कोई बहस नहीं हो सकती है। सरकार चलते सत्र में जब निर्णय लेकर घोषणा करेगी, तब आप सवाल-जवाब कीजिएगा। अभी यह बहस का विषय नहीं है।

4. औपचारिक कार्य

प्रो. नवल किशोर यादव, अध्यक्ष, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति द्वारा समिति के 193वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज रखी गयी।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा वैशाली जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

2. माननीय सदस्य, श्री सूरजनन्दन प्रसाद द्वारा सहरसा के सर्वनारायण सिंह राज कुमार सिंह महाविद्यालय में उपाचार्य के पद पर कार्यरत डा. भूपेन्द्र प्रसाद सिंह के वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा बेनीपट्टी थाना कांड सं.-151/16, दिनांक 19.09.2016 का पुनः पर्यवेक्षण कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का निदेश

सदन की भावना को देखते हुए आसन के निदेश पर माननीय मंत्री ने कहा कि दिखवा लेंगे।

4. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा राज्य की उच्च शिक्षा की बेहूतरी के लिए बोर्ड/आयोग के गठन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार एवं अन्य छः माननीय सदस्यगण द्वारा सिमरिया घाट, बेगूसराय में अर्द्ध कुंभ एवं कुंभ के आयोजन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन मोहन झा ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य भी स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर रोक लग गया तो जो पैसा उनका कट गया था वह कब रिफंड होगा, एक नया सप्लिमेंटरी सामने आया है, उसको दिखवा लिया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(पशु एवं मत्स्य, वित्त, कला संस्कृति एवं युवा विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री दिलीप राय

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

2. श्री सुमन कुमार

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

7. आसन को सूचना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री संजय प्रकाश ने सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार इसको संज्ञान में ले।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

3. श्री हीरा प्रसाद बिन्द

4. श्री कृष्ण कुमार सिंह

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

5. डा. उपेन्द्र प्रसाद

6. डा. दिलीप कुमार चौधरी

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

माननीय मंत्री, श्री शिव चन्द्र राम ने वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

8. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय
3. श्री सतीश कुमार
4. श्री राणा गंगेश्वर सिंह
5. श्री सोने लाल मेहता
6. श्री मंगल पाण्डेय
7. श्रीमती मनोरमा देवी
8. श्री नीरज कुमार
9. श्री संतोष कुमार सिंह
10. श्री कृष्ण कुमार सिंह
11. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
12. प्रो. नवल किशोर यादव
13. श्री संजय प्रसाद
14. श्री राधाचरण साह

15. श्री रामचन्द्र भारती
16. श्री मो. गुलाम रसूल

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन 'निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 27.3.2017 को
12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

सुभीम शर्मा
25/3/2017
(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 422 (3) / वि.प.

पटना, दिनांक 25.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
25-03-2017
(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्